

छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग,
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

// अधिसूचना //

नया रायपुर, दिनांक 02.06.18

क्रमांक एफ 10-14/2018/16 :- राज्य शासन एतद्वारा असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये सफाई कर्मकारों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :-

सफाई कर्मकार गंभीर बीमारी चिकित्सा सहायता योजना :-

(अ) योजना का प्रावधान :-

1. योजना का नाम "सफाई कर्मकार गंभीर बीमारी चिकित्सा सहायता योजना" होगा।
2. पंजीकृत सफाई कर्मकार जो गंभीरत बीमारी से पीड़ित होने पर इलाज हेतु रुपये 50,000/- की चिकित्सा सहायता प्रदान की जायेगी।
3. योजना का प्रावधान छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील होगा।
4. योजना के अंतर्गत गंभीर बीमारी में किडनी, कैंसर, सिकलसेल, एनिमिया, हृदय रोग, एड्स एवं लकवा रोग सम्मिलित होंगे।

(ब) योजना हेतु पात्रता :-

1. योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल में कम से कम 90 दिवस पूर्व पंजीयन होना आवश्यक है।
2. 18 से 60 वर्ष की उम्र के सफाई कर्मकार इस योजना के लिए पात्र होंगे।
3. सफाई कर्मकारों का हिताधिकारी के रूप में अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत पंजीयन होना चाहिए।
4. योजना का लाभ एक बार प्राप्त होगा।
5. योजना का लाभ राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना से प्राप्त कर रहा है, तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

(स) योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :-

1. हितग्राही को किसी भी च्वाईस सेंटर, कम्प्यूटर सेंटर अथवा संबंधित क्षेत्राधिकारिता के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी के कार्यालय में जाकर वेबसाईट में दिये निर्देशानुसार ऑनलाईन आवेदन करना होगा।
2. आवेदन पत्र के साथ संबंधित बीमारी के संबंध में विकासखंड चिकित्सा अधिकारी सिविल सर्जन/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। संबंधित चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रमाण

...2...


पत्र में संबंधित बीमारी के चिकित्सा खर्च की अनुमानित व्यय का उल्लेख किया जाना आवश्यक है।

(द) स्वीकृति का अधिकार :- योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी/सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी को होगा।

(इ) विसंगति का निराकरण :-

योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल का निर्णय अंतिम माना जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(तीरथ प्रसाद लड़िया)
अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

नया रायपुर, दिनांक ...02.06.18


पृष्ठांकन एफ 10-14/2018/16

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ0ग0)।
2. निज सचिव, विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ0ग0)।
3. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ0ग0)।
4. अध्यक्ष, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, नया रायपुर (छ0ग0)।
5. कलेक्टर जिला- (छ0ग0)।
6. श्रमायुक्त कार्यालय के उप श्रमायुक्त, रायपुर (छ0ग0)।
7. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी कार्यालय (छ0ग0)।
8. उप संचालक/प्रभारी उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (छ0ग0)।
9. नोडल अधिकारी, छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल, नया रायपुर (छ0ग0)।
10. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड़, राजनांदगांव (छ0ग0) की ओर प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

11. गार्ड फाईल।


अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग